संख्या- 156 / 2016 / 1783 / चार-2016 -135(विविध)/2005 टीसी

प्रेषक,

डा0 हरिओम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर , 2016

विषय:- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-153/2016/1480/चार-2016-135(विविध)/2005 टीसी दिनांक 28 सितम्बर,2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में रू0 483.71 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी । तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 125.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव में फाल्स सीलिंग,स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग,ग्रेनाइट , वुड ब्लाक फ्लोरिंग, वाल पेनलिंग,टफेन ग्लास का प्राविधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, अतएव सक्षम स्तर से नियमानुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) पुनरीक्षित प्रायोजना में नये कला केन्द्र के अन्तर्गत स्टेज लाइटिंग,साउण्ड सिस्टम , स्टेज कर्टेनसिस्टम, फर्नीचर, किचन फनीर्शिग, आडीटोरियम बेंच, चेयर तथा पुरानी बिल्डिंग के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

रेनोवेशन कार्य के अन्तर्गत फर्नीचर,वाटर प्यूरीफायर कम चिलर,स्टेज कार्टेन,आर0ओ0 वाटर कूलर की आवश्यकता,औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत हेतु प्रमुख सचिव/सचिव,संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। यह समिति इन कार्यमदों की आवश्यकता , औचित्य,स्पेसिफिकेशन एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। प्रायोजना में नये कला केन्द्र के अन्तर्गत स्टेज लाइटिंग हेतु रू0 42.87 लाख , साउण्ड सिस्टम हेतु रू0 20.60 लाख स्टेज कर्टेन हेतु रू0 34.36 लाख ,फर्नीचर किचन फर्नीशिंग,आडीटोरियम बेंच व चेयर हेतु रू0 67.76 लाख तथा पुराने अकादमी में रेनोवेशन कार्य के अन्तर्गत स्टेज कर्टेन हेतु रू0 0.20 लाख , फर्नीचर हेतु रू0 19.79 लाख ,वाटर प्यूरीफायर एवं चिलर्स हेतु रू0 0.44 लाख तथा आर0ओ0 वाटर कूलर हेतु रू0 1.25 लाख की प्रस्तावित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत उक्त समिति जो लागत संस्तुत करेगी, इस संस्तुत लागत की सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित मानी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट,लिफ्ट ,ट्रान्सफार्मर फर्नीचर ,स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, वी0सी0बी0 पैनल,फाल्स सीलिंग , एलीवेटर, साउण्ड सिस्टम, स्टेज लाइटिंग ,स्टेज कर्टेन,वाटर कूलर, स्पिलिट ए0सी0, एयर कन्डीशनिंग सिस्टम , वाटर प्यूरीफायर एवं चिलर्स का प्राविधान किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(8) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना , प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा,अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -30- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या - / 2016 / 1783 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-4/2/11/2016सी0एक्स (1) दिनांक 17 अगसत, 2016 के क्रम में।
3- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नगर आयुक्त , नगर निगम लखनऊ।
5 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7 -प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8 - सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
10- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।